न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 102/2017

उनवान

1. सरजनदेवी पत्नी श्री गोपाल, जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

—वादी

बनाम

1. श्रवण पुत्र सेडूराम,
2. बाबूलाल पुत्र सेडूराम,
3. प्रेमदेवी पत्नी श्रवण
4. राजेश पुत्र श्रवण
5. धारासिंह पुत्र श्रवण

   समस्त जाति माली निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. मंगलचन्द पुत्र चौथमल, जाति माली, निवासी पंचायत भवन के सामने, ग्राम पं0 सामोद, तह0 चौमूं, जिला जयपुर ।
7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर ।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः— 21.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वादीया ग्राम विजयसिंहपुरा के निवासी है तथा ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म बारानी—ए स्थित है। जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा निहित है तथा वादीया अपने 1/2 हिस्सा पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा शेष 1/2 हिस्सा मिश्रीदेवी पत्नी नारायण का है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि वाद—पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीया उक्त विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का निरन्तर उपयोग कर रही है। वादीया की खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 14 रकबा 0.14 हैक्टर अवस्थित है। जिसमें 1/3 हिस्सा स्व0 सेडूराम पुत्र दूलाराम का है, जिसके वारिस प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 है व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 मंगलचन्द का व 1/3 हिस्सा मिश्रीदेवी पत्नी नारायणलाल का है।

वादीया की भूमि खसरा नम्बर 15 आम रास्ते के लगवा स्थित है, वादीया की भूमि विवादग्रस्त के दक्षिण में खसरा नम्बर 14 की भूमि स्थित है, उक्त खसरा नम्बर 14 के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 ता 5 मिलकर मौके पर खसरा नम्बर 14 पर निर्माण करने की आड़ में वादीया की भूमि खसरा नम्बर 15 में अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण करने हेतु मौके पर निर्माण सामग्री डालकर वादीया की भूमि को अपनी खातेदारी भूमि में मिलाकर दुकानों का निर्माण करने हेतु भारी मात्रा में कारीगर व मजदूर लगाकर निर्माण चालू कर दिया, जबकि वादीया की खातेदारी भूमि में दुकान निर्माण करने का प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त निर्माण नहीं करने के लिए वादीया ने प्रतिवादीगण को मना किया तो ध[illegible]ण नही माने ओर कहा कि हम दुकान बनाकर ही रहेंगे व प्रतिवादी [illegible] 6 [illegible]तिवादीगण सं0 1 ता 5 के अवैध निर्माण दुकान बनाने में [illegible] भूमि में बिना इजाजत व्यवसायिक निर्माण कानूनी [illegible] से अपनी [illegible] की भूमि में भी नहीं किया जा सकता है। दिनांक 6—8—2017 को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 निर्माण करने लगे तो वादीया के मना करने पर प्रतिवादीगण नहीं माने व [illegible] धमकी दी कि तुम जानो से करों। इस पर वादीया ने पुलिस थाना सामोद में एक रिपोर्ट पैश की, लेकिन थाने वालों ने कहा कि कोर्ट से स्टे लेकर आओ, तब ही कुछ काम होगा। इस कारण वादीया को वाद पैश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिग्री फरमाया जावें :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:51:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(क) यह कि वाद वादीया बावत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.05 हैक्टर वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि में वादीया को उसके कब्जे से बेदखल नही करें, ना उक्त भूमि के किसी हिस्से भू भाग पर खाम व पुख्ता निर्माण करें, ना ही नींव खोदे, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही वादीया के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान कारित करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें एवं प्रतिवादी सख्या 7 उक्त आराजी में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की निर्माण करने इजाजत प्रदान नहीं करे, ना ही अन्य से प्रदान करवायें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट कुशलपुरा में पेश हुई। वादी स्वयं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1,3,5 स्वयं उपस्थित है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.05 हैक्टर वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बावत सक्त पाबन्द किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:51:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन (I.A.S)

मुकदमा नम्बर :– 102/2017

उनवान

1. सरजनदेवी पत्नी श्री गोपाल, जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

---वादी

बनाम

1. श्रवण पुत्र रोडूराम,
2. बाबूलाल पुत्र सेडूराम,
3. प्रेमदेवी पत्नी श्रवण
4. राजेश पुत्र श्रवण
5. धारासिंह पुत्र श्रवण

   समस्त जाति माली निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. मंगलचन्द पुत्र चौथमल, जाति माली, निवासी पंचायत भवन के सामने, ग्राम पं0 सामोद, तह0 चौमूं, जिला जयपुर ।
7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर ।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.05 हैक्टर वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 21.10.2021 को जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:31:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner